

तथ्यपत्र

विवेकाधीन सामाजिक निधि क्या है?

सामाजिक निधि [Social Fund] योजना में अनुदान और ब्याजमुक्त ऋण प्रदान करने की व्यवस्था है, जिससे कम आय वाले लोग उन खर्चों को वहन कर सकें, जिन्हें नियमित आय से पूरा करना कठिन है।

- आय सहायता [Income Support], आय आधारित बेरोजगार भत्ता [Jobseekers Allowance] या राज्य पेंशन [State Pensions] उधार प्राप्त कर रहे लोगों पर सामुदायिक देखभाल अनुदान के लिए विचार किया जा सकता है।
- जो लोग छब्बीस सप्ताहों तक आय सहायता या आय आधारित बेरोजगार भत्ता प्राप्त करते रहे हैं, वे बजट ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- जिन लोगों के पास अपनी मध्यम अवधि की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, वे आपदा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

स्वतंत्र समीक्षा सेवा [Independent Review Service] की क्या भूमिका है?

स्वतंत्र समीक्षा सेवा (IRS) बिरमिंघम स्थित एक स्वतंत्र कानूनी निकाय है। इसका कार्य विवेकाधीन सामाजिक निधि निर्णयों की स्वतंत्र समीक्षाएं करना है। स्वतंत्र समीक्षा करने वाला सामाजिक निधि निरीक्षक मामले की सभी परिस्थितियों के आधार पर अपना स्वयं का निर्णय लेगा।

तथ्य और आंकड़े

IRS:

- उन आधे से अधिक सामाजिक निधि निर्णयों को बदल देती है, जिनकी हम समीक्षा करते हैं।
- सामान्य सामाजिक निधि मामलों पर 12 दिनों के भीतर निर्णय लेती है।
- अत्यावश्यक आपदा ऋणों पर 24 घंटों या इससे कम समय में कार्रवाई करती है।

और अधिक सूचना कहां से प्राप्त करें

हमारे सभी प्रकाशन मुफ्त हैं। आप हमारी वेबसाइट: www.irs-review.org.uk पर आकर प्रकाशनों को डाउनलोड कर सकते हैं और स्वतंत्र समीक्षा सेवा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आप IRS से किस प्रकार सम्पर्क कर सकते हैं

0121 606 2191 पर टेलीफोन करके या **0121 606 2201** पर फ़ैक्स द्वारा

0121 606 2188 पर मिनिक्ॉम करके

aam@irs-review.org.uk पर ई-मेल करके

व्यवसायिक दल **The Business Team**

को **4th Floor, Centre City Podium, 5 Hill Street, Birmingham B5 4UB** पर

पत्र लिखकर